

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 21/03/2017

संख्या-2/एम०-28/16- /स्वा०, बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक डा० अरुण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुर, कैमूर को कार्यहित में न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना में तत्काल प्रभार से अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. आदेश दिया जाता है कि उक्त चिकित्सा पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त स्थान पर योगदान करने हेतु अविलम्ब विरमित किया जाय।

3. प्रस्ताव में माननीय मंत्री स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अंजनी कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एम०-28/16- 314 (2)

पटना, दिनांक 21/03/2017

प्रतिलिपि, ई-गजट प्रभारी, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / वित्त(वै०दा०नि०को) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि, प्रमंडलीय आयुक्त पटना/जिलाधिकारी, पटना एवं कैमूर/क्षेत्रीय अपरनिदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, पटना/सिविल सर्जन, पटना, पटना एवं कैमूर/अधीक्षक, न्यू गार्डिनर रोड सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामपुर कैमूर संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि, कोषागार पदाधिकारी, पटना एवं कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ /अपर सचिव के निजी सहायक/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 9 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि, आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव

21/3/17